

## अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

### 2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी कानून के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली, 2007 (विनियम) में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

### 2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में मुख्यतः निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी प्रभावोत्पादकता की जाँच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ङ. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है, और न ही कम किया गया है।

**2.2.2** उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, हमने वि.व. 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा पूरे किये गए निर्धारणों की जांच की। इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्षों में पूरे किये गए कुछ निर्धारणों को भी जांच के अंतर्गत रखा गया।

**2.2.3** आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारितियों द्वारा फाईल किये गये रिटर्न का आयकर विभाग नमूना संवीक्षा निर्धारण करता है। आयकर विभाग द्वारा निर्धारित और पूर्व परिभाषित मानदंडों के आधार पर कंप्यूटर एडिड संवीक्षा चयन (सीएसएसएस) द्वारा संवीक्षा के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) का चयन किया जाता है। तत्पश्चात इन मामलों का सही निर्धारण करने हेतु कटौतियों, हानियों, छूटों आदि के दावों के संबंध में गहनता से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का कोई अपवंचन नहीं हुआ है। निर्धारिती को उसके दावे की पुष्टि का अवसर दिया जाता है जिसके विफल रहने पर निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) जैसा उचित समझे निर्धारण करता है। संवीक्षा मामलों के संबंध में प्रसंस्करण, पूर्णता और निर्धारण आदेश का सुधार कार्य निर्धारण सूचना प्रणाली (एसटी)/आयकर व्यवसायिक एप्लीकेशन (आईटीबीए) मोड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। एसटी/आईटीबीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर की गणना, ब्याज की गणना, समयबाधित नियंत्रण आदि देखता है। संवीक्षा निर्धारण, सुधार, अपील प्रभावी आदेश के मामले में, आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली में आंकड़ों का डेटा भरा जाता है। टीडीएस/टीसीएस और अग्रिम कर आदि के संबंध में निर्धारिती द्वारा किये गये भुगतान क्रमशः फार्म 26 एस और ओल्टास एप्लीकेशन से स्वतः ही भरे जाते हैं।

#### **2.2.4 निर्धारण में त्रुटियों का होना**

हमने वि.व. 2019-20 के दौरान आयकर विभाग की कुल 6,249 निर्धारण इकाईयों में से 1,888 की लेखापरीक्षा की और 16,193 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की (निरीक्षण रिपोर्ट स्तर के लेखापरीक्षा पैराग्राफ)। अगामी विश्लेषण पर हमने पाया कि लगभग 6.14 प्रतिशत संवीक्षा मामलों, जिनकी हमने जांच की, में त्रुटियां थीं। दिलचस्प बात यह है कि हमने उन 805 निर्धारणों में त्रुटियां पाईं जिनकी आंतरिक लेखापरीक्षा में पहले ही जांच की गयी थी। नीचे तालिका 2.1 में विवरण दिया गया है जबकि परिशिष्ट 2.1 में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयवार विवरण दिया गया है।

तालिका 2.1 लेखापरीक्षा द्वारा 2019-20 के दौरान जांच किए गए निर्धारण में त्रुटियों के होने का विश्लेषण				
लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में पूर्ण हुए निर्धारणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा में की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की कुल संख्या	उन मामलों की संख्या जिनकी आंतरिक लेखापरीक्षा में पहले ही जांच की गयी	आईएपी द्वारा मामलों की लेखापरीक्षा के बाद की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (प्रतिशत में)
3,47,937	2,63,340	16,193	805	4.97

स्रोत: एमआईएस और सीएजी का साई सिस्टम और आईटीडी के आईटीबीए के साथ इसका इंटरफेस

### 2.3 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ का विश्लेषण

हम विनियम 205 से 209 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को लेखापरीक्षा में पाए गये महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामले जारी करते हैं। हम मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले मंत्रालय को जारी किए गए मामलों पर उनकी टिप्पणी देने के लिए छह सप्ताह का समय देते हैं। हमने इस रिपोर्ट के अध्याय III और IV में ₹ 12,893.13 करोड़ के कर प्रभाव वाले 577<sup>27</sup> उच्च मूल्य वाले मामले शामिल किए हैं। इन मामलों के श्रेणीवार विवरण को तालिका 2.2 में दर्शाया गया है और उप श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिए गए हैं। निगम कर और आयकर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों का विवरण क्रमशः अध्याय III और IV में दिया गया है।

तालिका 2.2 उच्च मूल्य वाले मामलों की त्रुटियों का श्रेणीवार विवरण						
श्रेणी	निगम कर		आय कर		कुल	
	सं.	कर प्रभार	सं.	कर प्रभार	सं.	कर प्रभार
(₹ करोड़ में)						
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	134	818.92	166	325.66	300	1,144.58
ख. कर रिआयत/छूट/कटौती का प्रशासन	157	2,938.67	18	33.45	175	2,972.12
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गयी आय	51	8,606.78	29	32.61	80	8,639.39
घ. कर/ब्याज का अतिप्रभार	14	112.16	09	24.88	23	137.04
<b>कुल</b>	<b>356</b>	<b>12,476.53</b>	<b>222<sup>28</sup></b>	<b>416.60</b>	<b>578</b>	<b>12,893.13</b>

27 दो निर्धारण वर्षों के लिए अवनिर्धारण और अधिक निर्धारण दोनों पर एक डीपी में अभ्युक्ति है, इसलिए प्रतिवेदन के अन्य स्थानों पर दो मामलों के रूप में माना गया।

28 221 आयकर मामले मंत्रालय को जारी किए गए। एक डीपी में दो निर्धारण वर्षों के लिए अवनिर्धारण और अधिक निर्धारण दोनों पर अभ्युक्तियां दी गयी हैं, इसलिए दो मामले माने गए हैं। इस प्रकार कुल गणना 222 है।

### 2.3.1 निर्धारणों की गुणवत्ता - अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हमने गणना संबंधी त्रुटियों, पहले से जारी किए गए/समायोजित प्रतिदाय पर विचार न करने, प्रतिदाय पर ब्याज की अधिक संगणना आदि के कारण अधिक या अनियमित प्रतिदाय या प्रतिदाय पर ब्याज से होने वाली अनियमितताएं पाईं। वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान इस श्रेणी में पाई गई त्रुटियों, जिन्हें चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019-20) के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया, का नीचे तालिका 2.3 में सारांश दिया गया है।

तालिका 2.3: अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज (₹ करोड़ में)								
निर्धारण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
निगम कर	6 <sup>29</sup>	50.35	4 <sup>30</sup>	30.98	5 <sup>31</sup>	1114.29	6	24.08

वि.व. 2019-20 के दौरान, प्र. सीसीआईटी-कर्नाटक (56 प्रतिशत) और प्र. सीसीआईटी मुम्बई (32.2 प्रतिशत) में ये अनियमितताएं अधिकतम थीं (जहां कहीं अधिकतम का उल्लेख किया गया है यह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है और न कि मामलों की संख्या के संबंध में)।

### 2.3.2 कर रिआयतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूँजीगत हानियों आदि के अनुमत करने में अनियमितताएं

हमने कारोबार हानियों, पूँजीगत हानियों और अनवशोषित मूल्यहास के गलत अनुमत करने और समंजन, मूल्यहास के गलत अनुमत करने आदि से संबंधित अनियमितताएं पाईं। ऐसी अनियमितताओं के स्वरूप में निम्नलिखित शामिल था:

- अग्रेषित कारोबार हानियों और अनवशोषित मूल्यहास के समंजन का गलत अनुमत करना जहां पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों (नि.व.) के संबंध में कोई हानि उपलब्ध नहीं थी,
- गलत आंकड़ों का अपनाना जैसे पूर्व वर्षों की कारोबार हानि को चालू निर्धारण वर्ष में रिटर्न्ड हानि के रूप में अपनाना,

29 कर्नाटक और महाराष्ट्र

30 महाराष्ट्र

31 कर्नाटक और महाराष्ट्र

(iii) कारोबार हानि के अग्रनयन का गलत अनुमत करना जबकि उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आईटीआर को विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के बाद दाखिल किया गया, और

(iv) मूल्यहास आदि के कारण दोहरी कटौती।

ऐसी अनियमितताएं उचित सावधानी बरतने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता को दर्शाने वाले निर्धारण अभिलेखों के सह-सम्बद्ध न होने और कानून का अनुपालन न करने के कारण रहीं। वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान मूल्यहास/कारोबार हानियों/ पूंजीगत हानियों आदि को अनुमत करने में पायी गयी अनियमितताएं, जैसाकि चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019-20) के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया, का नीचे तालिका 2.4 में सारांश दिया गया है।

तालिका 2.4: मूल्यहास/कारोबार हानियां/पूंजीगत हानियां अनुमत करने में पायी गयी अनियमितताएं								
निर्धारण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
(₹ करोड़ में)								
निगम कर	81 <sup>32</sup>	1,144.10	66 <sup>33</sup>	1,796.86	75 <sup>34</sup>	2,655.15	87	1,017.28
आय कर	9 <sup>35</sup>	24.41	7 <sup>36</sup>	9.19	14 <sup>37</sup>	21.29	11	27.83

निगम कर के संबंध में, ये वि.व. 2019-20 के दौरान प्र. सीसीआईटी कर्नाटक (30.3 प्रतिशत) और प्र. सीसीआईटी-मुम्बई (26.19 प्रतिशत) में अधिकतम थीं।

आयकर के संबंध में, ये अनियमितताएं वि.व. 2019-20 के दौरान प्र. सीसीआईटी कर्नाटक (44.25 प्रतिशत) में अधिकतम थीं।

32 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

33 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

34 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

35 बिहार, झारखंड, राजस्थान, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र

36 बिहार, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल

37 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और पश्चिम बंगाल

### 2.3.3 कर रिआयतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन - कारोबार व्यय का गलत अनुमत करना

हमने कारोबार व्यय के अपात्र दावों यथा पूंजीगत व्यय, अदा न किये गये दावों और अनिश्चित देयता के रूप में माने गए प्रावधानों आदि को गलत अनुमत करने से संबंधित अनियमितताएं पाईं। वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान व्यय को गलत अनुमत करने में पाई गई त्रुटियों जैसाकि चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019-20) के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया, का सारांश नीचे तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: कारोबार व्यय को अनुमत करने में पाई गई त्रुटियां								
निर्धारण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020	
	(₹ करोड़ में)							
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
निगम कर	50 <sup>38</sup>	478.67	48 <sup>39</sup>	875.47	49 <sup>40</sup>	764.39	40	187.75

वि.व. 2019-20 के दौरान, इसके कारण अनियमितताएं प्र. सीसीआईटी-आंध्र प्रदेश (32.3 प्रतिशत) और प्र. सीसीआईटी-दिल्ली (20.3 प्रतिशत) में अधिकतम थीं।

### 2.3.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गयी आय - मैट/टनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत अनियमितताएं

हमने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कर के उद्ग्रहण में त्रुटियों से संबंधित अनियमितताएं पाईं, जो निम्न के कारण थीं:

- (i) बही लाभ की संगणना में त्रुटियां,
- (ii) बही लाभ की संगणना के लिए सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत अननुमत व्यय को हिसाब में न लेना,
- (iii) बही लाभ की संगणना के लिए विशिष्ट व्यय को हिसाब में न लेना,

38 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

39 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र

40 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

(iv) विशेष प्रावधानों की बजाय सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत कर आदि।

वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत पाई गई वृद्धियों, जैसाकि चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019-20) के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया, का नीचे तालिका 2.6 में सारांश दिया गया है।

तालिका 2.6: विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत वृद्धियां								
निर्धारण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020	
	(₹ करोड़ में)							
	वृद्धियों की सं.	कर प्रभाव	वृद्धियों की सं.	कर प्रभाव	वृद्धियों की सं.	कर प्रभाव	वृद्धियों की सं.	कर प्रभाव
निगम कर	1 <sup>41</sup>	2.06	28 <sup>42</sup>	100.43	22 <sup>43</sup>	447.85	8	234.18

वि.व. 2019-20 के दौरान, ये अनियमितताएं प्र. सीसीआईटी-दिल्ली (92.4 प्रतिशत) में अधिकतम थीं।

## 2.4 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

**2.4.1** हम लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखापरीक्षित सत्त्वों से उत्तर प्राप्त करते हैं। विनियम 193 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, हम आयकर विभाग को टिप्पणी हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

सीबीडीटी की 2017 की अनुदेश संख्या 07 में प्राप्ति/राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्थायी प्रचालन क्रियाविधि निर्धारित की गयी है जोकि 2006 की अनुदेश संख्या 9, 2013 की अनुदेश संख्या 16 और 2013 की परिपत्र संख्या 08 के अतिक्रमण में है।

लेखापरीक्षा विनियम 202 और 203 में अपेक्षा की गयी है कि निरीक्षण रिपोर्टों/लेखापरीक्षा टिप्पणियों में शामिल की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर पर्याप्त, मार्गदर्शी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां और क्रियाविधि स्थापित की जाएं और लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अनुपालन और निपटान की मानीटरिंग करने और सुनिश्चित करने के लिए

41 महाराष्ट्र

42 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

43 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

लेखापरीक्षा समितियां स्थापित की जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा को उत्तर निर्धारित अवधि में भेजे गए हैं, विभाग के प्रयास संतोषजनक नहीं रहे हैं।

2.4.2 नीचे तालिका 2.7 में वि.व. 2017-18 से वि.व. 2019-20 के दौरान जारी किए गए एलएआर में अभ्युक्तियों और उस पर प्राप्त उत्तरों और स्वीकार की गयी अभ्युक्तियों (वित्तीय वर्ष के क्रमशः 31 मार्च को) की संख्या की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: स्थानीय लेखापरीक्षा को प्राप्त उत्तर						
वित्तीय वर्ष	की गयी अभ्युक्तियां	प्राप्त उत्तर		प्राप्त न हुए उत्तर	स्वीकार की गयी अभ्युक्तियों की प्रतिशतता (जहां उत्तर प्राप्त हुए)	प्राप्त न हुए उत्तरकी प्रतिशतता
		स्वीकार की गयी अभ्युक्तियां	स्वीकार न की गयी अभ्युक्तियां			
2017-18	24,502	3,983	2,882	17,637	58.02	71.98
2018-19	21,533	3,357	2,743	15,433	55.03	71.67
2019-20	16,330	2,412 <sup>#</sup>	3,252	10,666	42.58	65.32

# 1,409 अभ्युक्तियां स्वीकार की गयी और उपचारी कार्रवाई की गयी; 1,003 अभ्युक्तियां स्वीकार की गयी परन्तु उपचारी कार्रवाई नहीं की गयी

2.4.3 नीचे तालिका 2.8 में लम्बित अभ्युक्तियों की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण									
अवधि	निगम कर		आय कर		अन्य प्रत्यक्ष कर		कुल		
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	
									(₹ करोड़ में)
मार्च 2018 तक	17,009	60,579.88	15,352	12,308.13	1,540	167.03	33,901	73,055.04	
मार्च 2019	5,786	29,540.84	7,072	9,158.15	235	668.73	13,093	39,367.72	
मार्च 2020	3,004 <sup>44</sup>	17,041.39	4,102	1,802.87	77	3.77	7,183	18,848.03	
<b>कुल</b>	<b>25,799</b>	<b>1,07,162.11</b>	<b>26,526</b>	<b>23,269.15</b>	<b>1,852</b>	<b>839.53</b>	<b>54,177</b>	<b>1,31,270.79</b>	

प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति उत्तर में लम्बन के होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 को ₹ 1,31,270.79 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 54,177 मामलों का संचयन हुआ है।

44 अभ्युक्तियां जारी होने के छह माह पश्चात् लम्बित हो जाती हैं

**2.4.4** हमने अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020 के दौरान मंत्रालय तथा सीबीडीटी को 577<sup>45</sup> उच्च कीमत वाले मामले जारी किए जिसमें इसकी प्राप्ति के छह सप्ताह के अन्दर उत्तर की मांग की गयी। हालांकि, हमने मंत्रालय/सीबीडीटी से केवल 43<sup>46</sup> उच्च कीमत वाले मामलों (जुलाई 2021) के लिए उत्तर प्राप्त किए। इन मामलों में से ₹ 2,952.55 करोड़ (22.90 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 400 मामलों (69.20 प्रतिशत) में उपचारी कार्रवाई पूरी की गयी थी, ₹ 644.51 करोड़ (5.0 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 91 मामलों (15.74 प्रतिशत) में उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की गयी थी और ₹ 9,296.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले 86 मामलों में उपचारी कार्रवाई न तो प्रारम्भ की गयी थी और न ही पूरी की गयी थी। तालिका 2.2 में इन मामलों के श्रेणीवार विवरण को दर्शाया गया है (उपश्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-2.3 में दिए गए हैं)।

#### अभिलेखों का प्रस्तुत न करना

**2.4.5** सीएजी के (डीपीसी) एक्ट, 1971 की धारा 18 के अनुसार, लेखापरीक्षा को वह कोई भी अभिलेख या दस्तावेज मांगने का अधिकार है जो उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 के विनियम 185 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षिता इकाई का प्रभारी अधिकारी यथा पूर्ण यथा संभव और निर्धारित समय के अन्दर सूचना और अभिलेखों के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोध का अनुपालन करेगा।


सीबीडीटी की 2017 की अनुदेश संख्या 07 में प्राप्ति/राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्थायी प्रचालन क्रियाविधि निर्धारित की गयी है जो कि 2006 की अनुदेश संख्या 09, 2013 की अनुदेश संख्या 16 और 2013 की परिपत्र संख्या 08 के अतिक्रमण में है।

आयकर विभाग की लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के पैरा 8.1.2 के अनुसार निर्धारण अधिकारी एलएपी द्वारा मांगे गए निर्धारण और अन्य अभिलेखों की आपूर्ति करेगा। यदि मांगे गए किसी विशेष अभिलेख को उपलब्ध कराना संभव नहीं है, तो निर्धारण अधिकारी पीसीआईटी के पूर्व अनुमोदन के साथ लिखित रूप में एलएपी को उसके कारण सूचित करेगा और ऐसे अभिलेख अगले लेखापरीक्षा चक्र में लेखापरीक्षा को निरपवाद रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।

45 दो वित्तीय वर्षों के लिए कम निर्धारण तथा अधिक निर्धारण दोनों पर अभ्युक्तियों वाली एक डीपी है, इसलिए प्रतिवेदन के अन्य स्थानों पर दो मामलों के रूप में स्वीकार किया गया है।

46 29 मामले अध्याय III (निगम कर) से सम्बन्धित हैं तथा 14 मामले अध्याय IV (आयकर) से सम्बन्धित हैं

**2.4.6** उपरोक्त के बावजूद, आयकर विभाग ने वि.व. 2019-20 के दौरान मांगे गए 2,79,939 अभिलेखों<sup>47</sup> (6.96 प्रतिशत) में से 19,484 अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना एक बार-बार होने वाली घटना है जैसाकि नीचे चार्ट 2.1 में विवरण दिया गया है।



परिशिष्ट 2.3 में वि.व. 2017-18 से वि.व. 2019-20 के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के विवरण दर्शाए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वि.व. 2019-20 में अभिलेखों को प्रस्तुत न करने में प्र. सीसीआईटी-तमिलनाडु, प्र. सीसीआईटी-गुजरात, प्र. सीसीआईटी-एनईआर, प्र. सीसीआईटी-ओडिशा और प्र. सीसीआईटी-केरल में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हुई है।

नीचे तालिका 2.9 में उसी निर्धारिती से संबंधित तीन या अधिक निरंतर लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए अभिलेख	
राज्य	प्रस्तुत न किए गए अभिलेख
क. तमिलनाडु	1,479
ख. ओडिशा	9
<b>जोड़</b>	<b>1,488</b>

वि.व. 2019-20 में दो राज्यों में उन्ही निर्धारितियों से संबंधित 1,488 अभिलेख पिछले तीन या अधिक निरंतर लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

47 वे 20,413 अभिलेख शामिल हैं जिनको पूर्ववर्ती वर्षों में प्रस्तुत नहीं किया गया और चालू लेखापरीक्षा चक्र के दौरान जिनकी पुनः मांग की गयी


### सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि

- मंत्रालय/सीबीडीटी इन अनुदेशों के साथ निर्धारित प्रणाली को लागू कर सकता है कि पीसीआईटी/सीआईटी (ऑडिट) चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे।
- लेखापरीक्षा विनियमों के प्रावधानों का आयकर विभाग द्वारा अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है।
- पैराओं को या तो स्वीकार करने या स्वीकार न करने के लिए उत्तरों का समय पर प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि बकाया पैराओं में उपचारी कार्रवाई करने के लिए कालातीत होने से बचा जा सके।

### लेखापरीक्षा की सिफारिश पर वसूली

2.5 आयकर विभाग अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई गलतियों के परिशोधन के लिए उपचारी कार्रवाई करता है। आयकर विभाग ने गलतियों के परिशोधन के लिए की गयी मांगों से वसूलियां कीं। वि.व. 2017-18 से 2019-20 के दौरान की गयी वसूलियां नीचे चार्ट 2.2 में दी गयी हैं:



हमारे द्वारा बताई गई निर्धारणों में त्रुटियों का परिशोधन करने के लिए की गई मांगों से पिछले तीन वर्षों में आयकर विभाग ने ₹ 525.98 करोड़ की वसूली की। इसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में वसूली किए गए ₹ 235.12 करोड़ शामिल हैं।

